

15 नवम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समायावधि तक बढ़ाते हैं अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-नवंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	दिसंबर, 2017	10 फरवरी, 2018
3.	जनवरी, 2018	10 मार्च, 2018
4.	फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018
5.	मार्च, 2018	10 मई, 2018

3. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक के मासों के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

No. 72/2017—Central Tax

G.S.R. 1599(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the Act) and in supersession of notification No. 58/2017—Central Tax dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1414 (E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under sub-section (1) of section 37 of the Act for the months as specified in column (2) of the Table, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Months for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - November, 2017	10 th January, 2018
2	December, 2017	10 th February, 2018
3	January, 2018	10 th March, 2018
4	February, 2018	10 th April, 2018
5	March, 2018	10 th May, 2018

2. The extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सं. 73/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1600(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटी आर-4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु जहां उक्त विवरणी में केन्द्रीय कर के स्थान पर देय कुल रकम शून्य है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (भाग)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

No. 73/2017—Central Tax

G.S.R. 1600(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount payable in lieu of central tax in the said return is nil, the amount of late fee payable **under section 47 of the said Act**, by any registered person for failure to furnish the said return by the due date shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सं. 74/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1601(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1121(अ), तारीख 30 अगस्त, 2017 द्वारा